भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4097
जिसका उत्तर 23 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है।
2 पौष, 1937 (शक)

ई-मेल नीति

4097. श्री दुष्यंत चौटाला :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैकरों द्वारा गूगल के लगभग पाँच मिलियन पासवर्ड ऑनलाइन लीक किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अपने सभी विभागों को कार्यालयीन आंकड़ों का स्थानांतरण करने हेतु गूगल मेल का उपयोग न करने हेतु निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आंकड़ों के स्थानांतरण हेतु निजी ई-मेल पतों का उपयोग न करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संचार को और अधिक सुरक्षित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उ त्त र

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) : इस संबंध में विभाग में किसी विशेष घटना की सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) : "भारत सरकार की ई-मेल नीति" भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई है और सभी सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों में परिचालित की गई है। नीति में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि सरकारी संचार के लिए केवल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-मेल सेवाओं का इस्तेमाल किसी भी सरकारी संचार के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सभी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित ई-मेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ई-मेल अवसंरचना का उन्नयन करने की निर्णय लिया गया है।

******